

**मध्यप्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल**

क्रमांक : एफ 9/2/2009/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2010

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय :- दिनांक 1-1-2006 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त / दिवंगत कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन / परिवार पेंशन के एरियर्स का भुगतान बावत् ।


---00---

राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ-9/2/2009/नियम/चार (भाग-2) दिनांक 03/08/2009 द्वारा दिनांक 01/01/2006 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त / दिवंगत शासकीय सेवकों की पेंशन / परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के जारी निर्देश में दिनांक 31/08/2008 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन परिलब्धियों का निर्धारण ही किया गया है । अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01/01/2006 से दिनांक 31/08/2008 की अवधि में सेवानिवृत्त / दिवंगत शासकीय सेवकों की पुनरीक्षित पेंशन / परिवार पेंशन के एरियर का भुगतान निम्नानुसार किया जाये :-

- (अ) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-9/2/2009/नियम/चार (भाग-2) दिनांक 03/08/2009 के प्रावधानों के तहत पेंशन / परिवार पेंशन का निर्धारण / पुनरीक्षण किया जायेगा ।
- (ब) मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि का निर्धारण करने के लिये अंतिम माह का मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) गणना में लिया जायेगा । 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर 16½ (साढ़े सोलह) माह की उपलब्धियाँ अथवा राशि रूपये 10 लाख जो भी कम हो, देय होगी ।
- (स) उपर्युक्त अनुसार निर्धारित / पुनरीक्षित पेंशन / परिवार पेंशन तथा मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान का भुगतान पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पूर्व में किये भुगतान को समायोजित करते हुये किया जावेगा । पेंशन / परिवार पेंशन की देय राशि की गणना में (दिनांक 01/01/06 से 31/08/08 तक) मँहगाई राहत शून्य रहेगी ।

- (द) छठवें वेतनमान में निर्धारित वेतन के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्त / दिवंगत शासकीय सेवक को अवकाश नगदीकरण का भुगतान (यदि पूर्व में भुगतान किया गया हो तो उसको समायोजित करते हुये) किया जाएगा। अर्जित अवकाश नगदीकरण के लिये मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) मासिक उपलब्धियाँ माना जायेगा।
- (इ) पेंशन सारांशीकरण का पुनर्निर्धारण भी छठवें वेतनमान में निर्धारित वेतन तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा(पेंशन का कम्प्युटेशन) नियम 1996 के नियम 8 के तहत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-8-98/pwc/चार, दिनांक 7.2.2000 द्वारा जारी संशोधित सारणी (राजपत्र दिनांक 18.02.2000 में प्रकाशित) के अनुसार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(जी. पी. सिंघल)

प्रमुख सचिव  
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक : एफ 9/2/2009/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ०९ मार्च, 2010

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ( 200/100 प्रतियां )।
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
17. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
18. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवनमण्डी बोर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011.
19. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्ट्स डिपार्टमेण्ट्स, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051, (100 प्रतियां )
23. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-6, मैदामिल के सामने, भोपाल -462012, (10 प्रतियां )
24. उप महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, 5-यशवंत निवास रोड, इंदौर -452001, (10 प्रतियां )
25. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जो, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (300 प्रतियां )
26. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (200 प्रतियां )
27. उप मुख्य प्रबंधक, , सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, बम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.ई.रोड, रायपुर- 492001, (100 प्रतियां )
28. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल-462011 (75 प्रतियां )
29. चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011, (300 प्रतियां )
30. सहायक मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, रीजनल ऑफिस, 107, प्रथम तल, बैरसिया रोड, भोपाल-462001, (200 प्रतियां )
31. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , रीजनल आफिस, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (150 प्रतियां )
32. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आरसीसी1/4 जेल रोड एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल -462011, (45 प्रतियां )
33. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016, (150 प्रतियां )
34. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर, गोविन्दपुरा, भोपाल -462024 (10 प्रतियां )
35. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 20 स्नेहनगर, इन्दौर-452001(65 प्रतियां )
36. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 1227 नेपीयर टाऊन, जबलपुर-482001(65 प्रतियां )
37. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, मदीना मंजिल, कचहरी चौक, जेलरोड, रायपुर-492001(65 प्रतियां)

38. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,12-12ए, अनूपनगर,एल.आई.सी.बिल्डिंग,एम.आई.जी.चौराहा,इन्दौर-452001(55 प्रतियां )
39. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,गुरूनानक मार्केट ज्योति टाकीज के पास,नेपियर टारुन जबलपुर-482001(55 प्रतियां )
40. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,सिरमोर चौराहा,इलाहबाद रोड,पोस्ट बाक्स नम्बर-10 , रीवा-486001 ( 60 प्रतियां )
41. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,पोस्ट बाक्स नम्बर 23 महावीर काम्पलेक्स, के.के. रोड, मौधपाड़ा,रायपुर (छत्तीसगढ़ ) (40 प्रतियां )

की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 41 हेतु) ।

42. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर,गुजरात-382 010
43. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैद्राबाद-500 001
44. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
45. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
46. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
47. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039
48. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चैन्नई, 600 018
49. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
50. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
51. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
52. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
53. वित्त सचिव, हरयाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
54. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
55. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
56. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
57. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता,700 001
58. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मिर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
59. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
60. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
61. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
62. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
63. वित्त सचिव, गोवा-दिव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
64. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
65. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गान्तांक, 717 101
66. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादुन-248 001  
( सरल क्रमांक 42 से 66 तक 2 प्रतियों सहित )
67. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लॉक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001  
( 100 प्रतियां )
68. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) गुजरात, राजकोट 360 001 ( 100 प्रतियां )
69. महालेखाकार-1, ( लेखा एवं हक ) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 ( 250 प्रतियां )
70. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 ( 50 प्रतियां )
71. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) मेघालय, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001(20 प्रतियां )

72. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) मणीपूर, इम्फाल 795 001 ( 20 प्रतियां )
73. प्रधान महालेखाकार,-2, ( लेखा एवं हक ) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001(75 प्रतियां )
74. प्रधान महालेखाकार,-1, ( लेखा एवं हक ) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834 002 (35 प्रतियां )
75. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695 039 (240 प्रतियां )
76. महालेखाकार-1, ( लेखा एवं हक ) तमिलनाडु, चैनई, 600 018 ( 150 प्रतियां)
77. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) तमिलनाडु, चैनई , 600 018 ( 100 प्रतियां)
78. महालेखाकार-1, ( लेखा एवं हक ) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड ,मुंबई , 400 020 (100 प्रतियां )
79. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001(100 प्रतियां )
80. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002(150 प्रतियां )
81. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक )उडिसा, भुवनेश्वर, 751 001 (150 प्रतियां )
82. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 (70 प्रतियां )
83. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) हरियाणा, लेखा भवन, प्लाट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 बी चंडीगढ़, 160 047 ( 60 प्रतियां )
84. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कॅसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां )
85. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001 ( 200 प्रतियां)
86. महालेखाकार -3, ( लेखा एवं हक ) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 ( 50 प्रतियां )
87. महालेखाकार -2, ( लेखा एवं हक ) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 ( 200 प्रतियां )
88. महालेखाकार -2, ( लेखा एवं हक ) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001( 200 प्रतियां )
89. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) जम्मू एवं काश्मिर, श्रीनगर, 190 001 ( 50 प्रतियां )
90. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001 ( 25 प्रतियां )
91. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001 ( 50 प्रतियां )
92. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिक्किम, लकार भवन, गान्तोक 717101(20 प्रतियां )
93. महालेखाकार, (लेखा एवं हक ) उत्तरांचल, देहरादुन 248 001 (200 प्रतियां)
94. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्विप, पो. पणजी 403 101 (15 प्रतियां)
95. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
96. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006 (30 प्रतियां)
97. सहायक मिलीट्री एट्टेची (पेंशन) भारतीस दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल -1 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी 2) ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां) ।
98. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 महालेखाकार ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां )
99. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
100. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां )
101. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर, 492 001 ( 200 प्रतियां )



(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग